

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना, नालंदा, शेखपुरा, मधेपुरा, कटिहार, सारण (छपरा), भागलपुर, रोहतास, लखीसराय,  
बेगुसराय, किशनगंज, कैमूर, सिवान, शिवहर, पं० चम्पारण (बेतिया), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं  
जहानाबाद।

पटना, दिनांक- 25-1-2017

विषय:-


वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-  
00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं०-33,  
(विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल  
₹ 83,70,000/- (तिरासी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह,  
सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं०-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के  
अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 83,70,000/- (तिरासी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न दिवरणी के  
अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
  12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
  13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
  14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन  
  
(केशव कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना, नालंदा, शेखपुरा, मधेपुरा, कटिहार, सारण (छपरा), भागलपुर, रोहतास, लखीसराय,  
बेगुसराय, किशनगंज, कैमूर, सिवान, शिवहर, पं० चम्पारण (बेतिया), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं  
जहानाबाद।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-  
00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं०-33,  
(विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल  
₹ 83,70,000/- (तिरासी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह,  
सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं०-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के  
अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 83,70,000/- (तिरासी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के  
अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
  12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
  13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
  14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ह०/-  
(केशव कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-06/2016 सा०-...०५..... /

पटना, दिनांक-25-1-2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2017  
सरकार के संयुक्त सचिव

त्रितीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय
		01 01	01 03	01 04	01 08	01 07		13 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	2,75,000	3,25,000	40,000	5,000	5,000	6,50,000	1,00,000
2	नालंदा	0	0	0	0	0	0	0
3	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	50,000
4	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	50,000
5	कटिहार	0	0	0	0	0	0	50,000
6	सारण (छपरा)	2,00,000	2,50,000	50,000	5,000	0	5,05,000	0
7	भागलपुर	18,000	1,40,000	0	0	0	1,58,000	0
8	रोहतास	0	0	0	0	0	0	50,000
9	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	20,000
10	बेगूसराय	1,95,000	2,85,000	33,000	0	0	5,13,000	0
11	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	50,000
12	कैमूर	0	0	0	0	0	0	50,000
13	सिवान	0	0	0	0	0	0	50,000
14	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0
15	पं० च० (बेतिया)	99,000	1,44,000	10,000	2,000	1,000	2,56,000	0
16	पूर्वी च० (मोतिहारी)	1,54,000	2,27,000	8,000	0	0	3,89,000	0
17	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	50,000
कुल		9,41,000	13,71,000	1,41,000	12,000	6,000	24,71,000	5,20,000

contd....

49

~ वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन

क्र० सं०	जिला का नाम	वर्दी/पोशाक	विद्युत प्रभार	किराया एवं महसूल कर	सामग्री एवं पूर्तियाँ	व्या० एवं विशेष सेवाएँ	मशीन एवं उपस्कर	कुल
		13 06	13 04	14 01	21 01	28 01	52 01	
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	0	10,00,000	3,00,000	0	0	0	20,50,000
2	नालंदा	0	0	0	2,00,000	0	0	2,00,000
3	शेखपुरा	0	0	0	1,00,000	0	0	1,50,000
4	मधेपुरा	0	2,00,000	0	2,00,000	1,00,000	0	5,50,000
5	कटिहार	0	0	0	2,00,000	0	0	2,50,000
6	सारण (छपरा)	0	0	0	0	0	0	5,05,000
7	भागलपुर	0	0	2,00,000	3,00,000	1,00,000		7,58,000
8	रोहतास	0	0	0	3,00,000	0	0	3,50,000
9	लखीसराय	0	1,50,000	0	50,000	50,000	0	2,70,000
10	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0	5,13,000
11	किशनगंज	0	1,00,000	0	1,00,000	0	1,00,000	3,50,000
12	कैमूर	0	0	0	2,00,000	0	0	2,50,000
13	सिवान	0	1,00,000	50,000	3,00,000	50,000	0	5,50,000
14	शिवहर	0	2,00,000	0	5,00,000	0	0	7,00,000
15	पं० च० (बेतिया)	0	0	0	0	0	0	2,56,000
16	पूर्वी च० (मोतिहारी)	0	0	0	0	0	0	3,89,000
17	जहानाबाद	8,000	91,000	0	1,00,000	30,000	0	2,79,000
	कुल	8,000	18,41,000	5,50,000	25,50,000	3,30,000	1,00,000	83,70,000

(तिरसी लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग